न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर

पीठासीन अधिकारी :- प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 67/2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025/242

प्रार्थीगण

रूपा पुत्र पदमा वगैरह

अप्रार्थीगण

खंगारा पुत्र प्रभु वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 10.10.2025

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लाधुसिंह किलवा उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 13 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 04.02.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा प्रतापगढ़, पटवार हल्का–विरोल में हम प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 की संयुक्त कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि खेत खसरा नंबर 19 रकबा 2.65 हैक्टेयर, खसरा नंबर 20 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 21 रकबा 4.17 हैक्टेयर, खसरा नंबर 22 रकबा 4.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 22/694 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 23 रकबा 2.92 हैक्टेयर, खसरा नंबर 24 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नंबर 39 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नंबर 40 रकबा 0.71 हैक्टेयर, खसरा नंबर 58 रकबा 0.53 हैक्टेयर जुमले रकबा 15.90 हैक्टेयर की आई हुई है। जमाबंदी संलग्न पेश है। उपरोक्त आराजी को आगे संपूर्ण प्रार्थना–पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया जायेगा। वादग्रस्त आराजी हमारी संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा इसलिए प्रथम दृष्ट्या मामला हमारे पक्ष में बनता है तथा मौके पर हमारा हमारे बंट एवं हिस्से की भूमि में कब्जा काश्त है तथा मौके पर हमारी ढ़ाणी बनी हुई है तथा इसलिए सुविधा का संतुलन में भी हम प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा अगर अप्रार्थीगण हमें उक्त भूमि से बेदखल करने में एवं उक्त भूमि आगे से आगे बैचान करने में सफल हो गए तो हमें अपूरणीय क्षति होगी जिसका आंकलन द्रव्य में किया जाना मुमकिन नहीं होगा। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों आधारभूत सिद्वान्त हम प्रार्थीगण के पक्ष में इसलिए हम प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम प्रतापगढ़, पटवार हल्का–विरोल में स्थित हम प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 की संयुक्त कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि खेत खसरा नंबर 19 रकबा 2.65 हैक्टेयर, खसरा नंबर 20 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 21 रकबा 4.17 हैक्टेयर, खसरा नंबर 22 रकबा 4.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 22/694 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 23 रकबा 2.92 हैक्टेयर, खसरा नंबर 24 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नंबर 39 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नंबर 40

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

रकबा 0.71 हैक्टेयर, खसरा नंबर 58 रकबा 0.53 हैक्टेयर जुमले रकबा 15.90 हैक्टेयर भूमि में इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण सादर फरमावें कि वें हमारे हिस्से एवं बंट की भूमि में किसी भी प्रकार से प्रवेश नहीं करें तथा हमारे शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें तथा वादग्रस्त आराजी का बेचान, रहन, गिरवी, दान, तर्क, विनिमय अर्थात् किसी भी प्रकार से हस्तांतरण नहीं करें तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 13 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

मैंने अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा प्रतापगढ़, पटवार हल्का–विरोल के खसरा नंबर 19 रकबा 2.65 हैक्टेयर, खसरा नंबर 20 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 21 रकबा 4. 17 हैक्टेयर, खसरा नंबर 22 रकबा 4.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 22/694 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 23 रकबा 2.92 हैक्टेयर, खसरा नंबर 24 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नंबर 39 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नंबर 40 रकबा 0.71 हैक्टेयर, खसरा नंबर 58 रकबा 0.53 हैक्टेयर जुमले रकबा 15.90 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **04.02.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर
जिला जालोर